


तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 07 / 2025	नम्बर व तारिख अहकाम जे इस हुकम की तामिलमे जारी हुए
18-6-2025	<p>प्रार्थी के वकील उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन आज निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही</p>	